दिनांक 16.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद उन्नाव/थाना आसीवन</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 55 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2024 को थाना आसीवन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौधरीखेड़ा नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–आकाश कुमार 2–विपिन 3–सुमित उर्फ शीबू को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 55 हजार रूपये नगद, लूट का 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन, लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.05.2024 को थाना आसीवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आसीवन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आसीवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश कुमार निवासी मोहराकलां थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–विपिन निवासी जयनगरा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

3–सुमित उर्फ शीबू निवासी मोहराकलां थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लूट के 55 हजार रूपये नगद।

2–लूट का 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन।

3–लूट की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **30 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16.05.2024 को थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जटौला के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रूपेन्द्र उर्फ पैना 2–संदीप को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 30 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रूपेन्द्र उर्फ पैना के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– रूपेन्द्र उर्फ पैना निवासी मोहल्ला भूपनगर कस्बा व थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

2–संदीप निवासी ग्राम उमरारी थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–30 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना सैफनी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.05.2024 को थाना सैफनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बड़ा चौराहा से आगे ग्राम दिव्यानंगला को जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बहारे आलम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 बुलेट मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, औरैया के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सैफनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बहारे आलम निवासी ग्राम जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—01 बुलेट मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना इटवा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2024 को थाना इटवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सड़वा के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त इकबाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इटवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इकबाल निवासी चौखड़ा हालपता सड़वा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **15 करतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2024 को थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रैपुरवा मोड़ के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–धनराज 2–प्रिन्सू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 15 करतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धनराज निवासी रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

2–प्रिन्सू निवासी ग्राम व थाना बबेरू जनपद बांदा, हालपता चित्रकूट सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–15 करतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद जालौन/थाना रेंढर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना रेंढर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद भदोही/थाना औराई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद भदोही द्वारा थाना औराई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अतरसिंह 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः वर्ष–2014 में जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में 10 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कप्तान मिश्रा लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 15–05–2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि में 10 साल से फरार/वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कप्तान मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

कप्तान मिश्र पुत्र किशुनराज मिश्र नि0 रामनगर तरहर, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरादगीः–

1– 02 अदद एटीएम कार्ड।

2– 01 अदद महिन्द्रा थार नं0 यूपी 32 एनक्यू 8886

3– रू0 1000/– नगद।

4– 01 अदद हाथ की घड़ी।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 15–05–2024 समय 21.40 बजे, हरि प्लाजा, नहर रोड, प्लाट नं0 36, तिवारीपुर, थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 15–05–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 टीम को सूचना मिली की जनपद गोण्डा के थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में हुई हत्या की घटना में वांछित एवं फरार अभियुक्त कप्तान मिश्रा जनपद लखनऊ में छिपकर रह रहा है। जो हरि प्लाजा, नहर रोड, प्लाट नं0 36, तिवारीपुर, थाना जानकीपुरम, लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त कप्तान मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त कप्तान मिश्र ने बताया कि वह वर्ष–2014 में गॉव की आपसी रंजिश को लेकर अपने साथी सोनू, सुरेन्द्र, सर्वेश, सुनील के साथ मिलकर गॉव के ही अमित शुक्ला को कही ले जाने के बहाने अपनी कार में बैठाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश को जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र रामनगर में सुनसान स्थान पर फेककर फरार हो गये। इस घटना में शामिल इसके चारों अन्य सहयोगियों को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है तथा तभी से यह लखनऊ एवं आस पास के जनपदों में छिपकर रह रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त कप्तान मिश्र का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है:–</u>

1– मु0अ0सं0 277/13 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506, 427 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

2– मु0अ0सं0 131/2013 धारा 147, 148, 432, 323, 506 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

3– मु0अ0सं0 97/2014 धारा 110जी द0वि0सं0 थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

4– मु0अ0सं0 407/2013 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

5– मु0अ0सं0 45/2014 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506 भादवि व 7सीएलए एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

6— मु0अ0सं0 189/2013 धारा 147, 148, 432, 506 भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

7— मु0अ0सं0 330/2014 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

8— मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

9— मु0अ0सं0 247/2015 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त कप्तान मिश्र को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 410/2014 धारा 302, 201, 147, 148, 149, 120बी भादवि में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 631/2023 में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह, जनपद बाँदा से गिरफ्तार।

दिनांकः 16—05—2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर पर पंजीकृत लूट/डकैती की घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0 : 631/2023 धारा : 395/412 भादवि में वांछित रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित एवं गिरोह का सरगना राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह को जनपद बाँदा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र हरिनाम सिंह, निवासी ग्राम रानीगंज कैथोला, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः—

1. 520 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

निकट महाराणा प्रताप चौक, सिविल लाइन, जनपद बांदा, दिनांकः 16—05—2024। समय 02:50 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर, अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण उदय प्रताप सिंह, अजय सिंह यादव, सोनू, प्रभंजन पाण्डेय व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दिनांक 15/16–05–2024 की रात्रि में जनपद बांदा के सिविल लाइन क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर से लूट/डकैती की घटना में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह, महाराणा प्रताप चौक के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर विष्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ दीपक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2023 में थाना क्षेत्र सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में अपने साथी गोलू उर्फ शिवांशु सिंह, शोभित सिंह व अंकित उर्फ राबिन आदि के साथ मिलकर राहगीर सुशील सिंह को तमंचा दिखाकर लूट की घटना कारित की गयी थी। लूट से प्राप्त धनराशि को इन सभी लोगों द्वारा आपस में बराबर–बराबर बांट लिया गया था तथा घटना के बाद से ही पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु यह सभी लोग इधर–उधर छिपकर रहने लगे और एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रूकते थे तथा राहुल सिंह उर्फ दीपक को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी गिरफ्तारी हेतु उसके ऊपर 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित हुआ है तभी से वह फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह उपरोक्त को थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 : 631/2023 धारा : 395/412 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना समुरेपुर, जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	288/2020	323/504/506 भादवि व 3(1)द,घ व 3(2)ए एससी/एसटी एक्ट	लालगंज	प्रतापगढ़
2	637/2020	395/412 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
3	398/2021	395/412 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
4	507/2021	147/148/149/307/309/402 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
5	509/2021	3/25 आर्म्स एक्ट	लालगंज	प्रतापगढ़
6	631/2023	495/412 भादवि	सुमेरपुर	हमीरपुर

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, लगभग 84 कि0ग्रा0 गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख) बरामद।

दिनॉकः 15–05–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 84 किलोग्राम गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– साहब राज यादव पुत्र रामजीत यादव नि0 सिसवा, थाना मेहनगर, आजमगढ़।

2– छोटेलाल गुप्ता पुत्र स्व0 जमुना गुप्ता नि0 हनुमान मन्दिर थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी :–</u>

1– 84 कि0ग्रा0 अवैध गांजा। (अन्र्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख)

2– 01 अदद ट्रक (यूपी–53–डीटी–1183)

3– 330/–रु0 नगद

4– 02 अदद आधार कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–</u>

दिनाँक–15–05–2024 समय 19.30 बजे जयरामपुर, थाना क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को असम, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम जनपद गाजीपुर में मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग असम राज्य से अवैध मादक पदाथ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर ट्रक नं0 यूपी 53 डीटी 1183 से आजमगढ़ जाने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा जयरामपुर, थाना क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर के पास उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गयी, तो उसमें भारी मात्रा में गॉजा छिपाकर रखा गया था, जिस पर उसे कब्जे में लेते हुए दोनो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। यह लोग असम के रंगिया से गांजे की बड़ी खेप लाकर आजमगढ़, गाजीपुर व आस–पास के जनपदों में सप्लाई करते है। उत्तर प्रदेश से असम राज्य का सामान लोड करके असम जाते है वहॉ पर पेट्रोल

पम्प पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देते है। असम के तस्कर उक्त ट्रक को लेकर जाते है और उसमें गॉजा लोड करके उसी पेट्रोल पम्प पर ट्रक खड़ी कर देते है। इस बार असम से बिहार राज्य के जनपद भोजपुर स्थित वियर फैक्ट्री की मकई लोड किये थे साथ ही ट्रक में ड्राइवर की केबिन की छत में गॉजा छिपाकर रखे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जंगीपुर, जनपद–गाजीपुर में मु0अ0सं0 54/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

―――――